न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : डॉ0 मधु खरे
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 2217–दो/2015 विरूद्ध आदेश दिनांक 28–04–2015 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल द्वारा प्रकरण कमांक 518/अपील/2012–13

.....

लक्ष्मीनारायण पिता रूगनाथ
निवासी–शिवपुरा, तहसील–जीरापुर
जिला–राजगढ़ (म0प्र0)

..... आवेदक

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन
द्वारा नायब तहसीलदार
ग्राम शिवपुरा टप्पा माचलपुर

..... अनावेदक

.....

श्री अनोज गुप्ता, अभिभाषक, आवेदक

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक २५ अगस्त 2015 को पारित)

यह निगरानी, आवेदकगण द्वारा भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 28–04–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी द्वारा किये जा रहे सीमांकन के समय शासकीय अमले पर आवेदक द्वारा हमला किया जिसपर शासकीय अमले द्वारा आवेदक के विरूद्ध

एफआईआर दर्ज कराई गई तथा तहसीलदार जीरापुर को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर कोटवार पद से पृथक किये जाने हेतु लिखा। तहसीलदार द्वारा नायब तहसीलदार टप्पा माचलपुर को पत्र लिखकर कोटवार के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही करने के निर्देश दिये। नायब तहसीलदार ने राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी से प्रतिवेदन प्राप्त कर कोटवार का वेतन रोके जाने के आदेश जारी किये तथा प्रकरण तहसीलदार को प्रेषित किया। तहसीलदार द्वारा प्रकरण की गंभीरता को देखते हुये आदेश दिनांक 31–12–12 के द्वारा आवेदक को कोटवार पद से पृथक करने के आदेश दिये। तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी ने अपील निरस्त की। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष पेश की जो आदेश दिनांक 28–4–15 अस्वीकार की गई। अपर आयुक्त के उक्त आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि आवेदक को संहिता धारा 230 में बनाये नियमों के नियम 5(1) के विपरीत आदेश पारित कर पद से पृथक किया गया। आवेदक को कारण बताओ सूचना पत्र जारी नहीं किया गया न ही किसी प्रकार की जांच की जाकर आवेदक का पक्ष लिया गया। आवेदक के विरूद्ध सीधे सेवा समाप्ति की कार्यवाही की गई है, जो विधि विरूद्ध है। तर्क में यह भी कहा कि आवेदक को जिस अपराधिक प्रकरण के आधार पर सेवा से पृथक किया गया था उसमें आवेदक के विरूद्ध प्रकरण राजीनामे के आधार पर समाप्त किया गया है अतः आवेदक पर कोई दोष सिद्ध नहीं हुआ है ऐसी स्थिति में निगरानी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जाये।

4/ आवेदक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की प्रति एवं अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया जिससे स्पष्ट है कि ग्राम शिवपुरा में दिनांक 16–6–12 को सीमांकन हेतु राजस्व

निरीक्षक/पटवारी तथा अन्य शासकीय अमले के पहुंचने पर सीमांकन के पूर्व आवेदक द्वारा शासकीय अमले पर हमला किया, गाली गलोच किया तथा शासकीय कार्य में बाधा डाली, जिससे सीमांकन नहीं हो सका। आवेदक ग्राम में कोटवार था उसके इस कृत्य के विरूद्ध पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज हुई, अपराधिक प्रकरण कायम हुआ तथा तहसीलदार द्वारा विभागीय कार्यवाही कर उसे कोटवार पद से पृथक कर दिया। अपराधिक प्रकरण में राजीनामा के आधार पर प्रकरण में आरोप से दोषमुक्त हो गया। आवेदक अभिभाषक का तर्क है कि तहसीलदार द्वारा कोटवार पद से बर्खास्तगी के बाद उसने अनुविभागीय अधिकारी तथा तत्पश्चात अपर आयुक्त को अपील की परन्तु अपील अस्वीकार कर दी गई जबकि आपराधिक प्रकरण में दोषमुक्त होने के बाद उसे सेवा पर रखा जाना चाहिए था। न्यायायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जीरापुर द्वारा आदेश दिनांक 19–7–2013 आरोपी से राजीनामा होने के कारण अभियोजन प्रश्नगत आरोपों को आरोपी के विरूद्ध संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा। अतः आरोप से दोषमुक्त किया है। अपर आयुक्त का यह निष्कर्ष उचित है कि राजीनामा के आधार पर प्रकरण समाप्त हुआ है अतः पूर्व में किए गए कृत्यों के परिप्रेक्ष्य में कोटवार पद पर पुनः नहीं रखा जा सकता। कोटवार जैसे पद कार्य कने के लिए व्यक्ति की निष्ठा संदेह से परे होना चाहिए। उक्त विवेचना के आधार अपर आयुक्त का आदेश दिनांक 28–4–15 स्थिर रखते हुये निगरानी निरस्त की जाती है।

(डॉ0 मधु खरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर